

## न्यायालय तहसीलदार राजगढ जिला अलवर (राजस्थान)

प्रकरण सं:-13

प्रवेश दिनांक 25.05.2021

निर्णय दिनांक 05.08.2021

उपनाम

2021

16

1. राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का ढिगावडा तहसील राजगढ जिला अलवर

बनाम

1. शिवप्रकाश पुत्र साधूराम कौम महाजन सा० करवा राजगढ वार्ड न 04 रेस्टहाउस रोड तहसील राजगढ जिला अलवर

2. सतीश कुमार गुप्ता पुत्र कृष्णप्रसाद गुप्ता जाति महाजन सा० सेठरामकिशोर मौहल्ला ग्राम थानाराजाजी तहसील राजगढ जिला अलवर

3. सुनील कुमार गुप्ता पुत्र रामकिशोर जाति महाजन सा० सेठरामकिशोर मौहल्ला ग्राम थानाराजाजी तहसील राजगढ जिला अलवर

आज पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में वृत्तान्त निम्न प्रकार से है कि पटवारी हल्का ढिगावडा द्वारा ग्राम बाढ ढिगावडा के आ०ख०नं० 36/256 रकबा 0.4350 हे० किरम बरानी उत्तम रकबा 0.4350 हे० खातेदारी कृषि भूमि में गैरसायलान शिवप्रकाश पुत्र साधूराम कौम महाजन सा० करवा राजगढ वार्ड न 04 रेस्टहाउस रोड तहसील राजगढ जिला अलवर सतीश कुमार गुप्ता पुत्र कृष्णप्रसाद गुप्ता जाति महाजन सा० सेठरामकिशोर मौहल्ला ग्राम थानाराजाजी तहसील राजगढ जिला अलवर सुनील कुमार गुप्ता पुत्र रामकिशोर जाति महाजन सा० सेठरामकिशोर मौहल्ला ग्राम थानाराजाजी तहसील राजगढ जिला अलवर द्वारा आ०ख०नं० 36/256 रकबा 0.4350 हे० में प्लोटिंग कर व्यावसायिक प्रयोजनार्थ बिना रूपान्तरण करवाये उपयोग किये जाने पर पटवारी हल्का द्वारा एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 90 ए के तहत रिपोर्ट पेश करने पर रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को नोटिस जारी किया गया। गैरसायलान सूचना के बावजूद अनुपस्थित रहे। गैरसायलान की अनुपस्थिति पर एकतरफा कार्यवाही अमल लाई जाती है। पटवारी हल्का रिपोर्ट का अवलोकन एवं मनन किया गया। गैरसायलान के द्वारा बिना सक्षम स्वीकृति के कृषि भूमि को अकृषि भूमि में परिवर्तन कर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ए का उल्लंघन किया है। गैर सायलान द्वारा अपने बचाव में सुनवाई तिथि को न्यायालय में उपस्थित नहीं होने व कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं करने से प्रकरण नियमन योग्य नहीं पाया गया।

अतः शिवप्रकाश पुत्र साधूराम कौम महाजन सा० करवा राजगढ वार्ड न 04 रेस्टहाउस रोड तहसील राजगढ जिला अलवर सतीश कुमार गुप्ता पुत्र कृष्णप्रसाद गुप्ता जाति महाजन सा० सेठरामकिशोर मौहल्ला ग्राम थानाराजाजी तहसील राजगढ जिला



तहसीलदार  
राजगढ (अलवर)

अलवर सुनील कुमार गुप्ता पुत्र रामकिशोर जाति महाजन सा10 सोठरामकिशोर मौहल्ला ग्राम थानाराजाजी तहसील राजगढ़ जिला अलवर के विरुद्ध बिना स्वीकृति के ग्राम बाढ़ ढिगावडा के आराजी ख0 नं0 36/256 हैक्टेयर भूमि में से 0.4350 हैक्ट0 पर व्यावसायिक प्रयोजनार्थ प्लोटिंग कर उपयोग करने पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ए सपठित धारा 91 के अन्तर्गत बेदखल कर लगान 15.225 रूपये का पचास गुणा राशि 762.00/- रूपया शास्ति आरोपित की जाती है। वसूली एवं कायमी हेतु पटवारी हल्का व तहसील राजस्व लेखाकार को लिखा जावे। चूंकि गैरसायलान का ये कृत्य कृषि भूमि को अकृषि भूमि में बिना सक्षम स्वीकृती उपयोग कर लेने पर खातेदारी भूमि की शर्तो के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। कृषि भूमि शर्तो का उल्लंघन किये जाने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद पूर्ति लेख भण्डार हो।

आज दिनांक 05.08.2021 को लिखवाया जाकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर किये गए। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(बाबूलाल मीना)  
तहसीलदार राजगढ़  
राजगढ़ (अलवर)

रा. ले. स. 4 वर्ष 2021-22  
के पृष्ठ संख्या 20 पर 762/-  
राशि कायम किये गये।  
त. स. लेखाकार